


सम्राज्यं जगते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 1244]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2013/ज्येष्ठ 10, 1935

No. 1244]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2013/JAISTHA 10, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2013

का.आ. 1401(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 (नया रारा सं. 40) [किमी 0.0 से किमी 106.40 (चेन्नई से वालजाह)तक खंड को छोड़कर] और रारा 4 के किमी 13.8 से शुरू होने वाला और रारा 5 (नया रारा सं. 16) के किमी 13.6 पर मिलने वाला बाईपास (चेन्नई बाईपास चरण-II), सं. 45 (नया रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नई-त्रिची-डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से 421.650 और किमी 2.750 से किमी 73.40 (डिंडीगुल-थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 45ए (नया रारा सं. 32 और 332), सं. 45बी (नया रारा सं. 38) [मदुरई-अरूपूकोटई-तूतीकोरिन खंड को छोड़कर], सं. 47 (नया रारा सं. 66 और 544) [(केरल/तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी खंड को छोड़कर) और किमी 0.000 से किमी 182.040 (सलेम से तमिलनाडु/केरल सीमा तक), सं. 49 (नया रारा सं. 87), सं. 66 (नया रारा सं. 32 और 77) [तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा-टिंडीवलम-थिरुवन्नामलई-कृष्णागिरी खंड को छोड़कर], सं. 67 (नया रारा सं.83, 81 और 181) [नागपट्टनम-तंजावूर-त्रिची-करूर-कोयम्बटूर खंड और कोयम्बटूर-मेटुपलयाम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खंड को छोड़कर], सं. 68 (नया रारा सं. 79)[सलेम-उलनडुरपेट खंड को छोड़कर], सं. 205 (नया रारा सं. 716) [तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा-थीरुथनी-चेन्नई खंड को छोड़कर], सं. 207 (नया रारा सं. 648), सं. 208 (नया रारा सं. 744), सं. 209 (नया रारा सं. 83), सं. 210 (नया रारा सं. 336 और 536 [किमी 10.00 से किमी 94.00 (त्रिची-करईकुडी-देवाकोट्टई रास्ता) तक खंड को छोड़कर] सं. 219 (नया रारा सं. 42), सं. 220 (नया रारा सं. 183) [किमी 215.500 से 273.600 (थेनी-कुमेली) तक खंड को छोड़कर], सं. 226 (नया रारा सं. 135) (पेरामबलूर-पेरली-किलापालूर-अरियालूर-कुन्नम-थीरुवईयरू-कांडियूर-तंजावुर) सं. 230 (नया रारा सं. 85) सं. 234 (नया रारा सं. 75 और 38) और नया रारा सं. 532 के उतने भाग तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं ।	तमिलनाडु राज्य सरकार” ।
-----	---	-------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/15/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 866 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st, May 2013

S.O. 1401(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“22	So much of National Highway No.4 (New NH No. 40)[excluding from Km. 0.0 to Km. 106.40 (from Chennai to Wallajah)] and the bypass starting from Km. 13.8 of NH-4 and joining at Km. 13.6 of NH-5 (New NH No. 16) (Chennai Bypass Phase-II), No.45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183) [excluding from km. 27.8 to 421.650 of Chennai-Trichy-Dindigul section and from km. 2.750 to km. 73.40 (Dindigul-Theni Section), No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 45B (New NH No. 38)[excluding Madurai-Arupukotai-Tuticorin section] No.47 (New NH No. 66 and 544) [(excluding Kerala/Tamilnadu Border-Kanyakumari Section) and from Km. 0.000 to Km.182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No.49 (New NH No. 87), No.66 (New NH No. 32 and 77) [excluding Tamil Nadu/ Pondicherry Border-Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri sections), No.67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore Sections and Coimbatore Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Sections), No.68 (New NH No. 79) [excluding Salem-Ulundurpet Sections), No.205 (New NH No. 716) [excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-Chennai Sections), No.207 (New NH No. 648), No.208 (New NH No. 744), No.209 (New NH No. 83), No. 210 (New NH No. 336 and 536)[excluding from km. 10.00 to km. 94.00 (Trichy-Karaikudi- Devakottai Rastha)], No.219 (New NH No. 42), No.220 (New NH No. 183) [excluding from km. 215.500 to 273.600 (Theni-Kumili)], No. 226 (New NH No. 135) (Perambalur- Perali- Keelapalur- Ariyalur- Kunnam- Thiruvaiyaru-Kandiyur-Thanjavur), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38) and New NH No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu.”
-----	--	----------------------------------

No. NH-14013/15/2012-P&M]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy

Note: —The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 866 (E), dated the 1st April, 2013.